पत्रांक – वि०प्रा०(IV) यो०–04 / 2020–*4532*

बिहार सरकार

<u>विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।</u>

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 ह०) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/ पटना, दिनांक– *19.08.2025*

विषय – विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत गया जिला में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के परिसर में वास्तुकला विभाग भवन एवं अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) तथा 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 6207.44 लाख (बासठ करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5668(भ) अनु०, दिनांक–19.06.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–13.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०–12 के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत गया जिला में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के परिसर में वास्तुकला विभाग भवन एवं अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) तथा 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 6207.44 लाख (बासठ करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि निम्नवत् बजटशीर्ष से विकलनीय होगा :–

(क) भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के ''मुख्य शीर्ष –4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघु शीर्ष –051– निर्माण, उपशीर्ष –0117– इंजिनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)'' विपत्र कोड 03–4059800510117 के विषयशीर्ष "53 01– मुख्य निर्माण कार्य" से **कुल स्वीकृत राशि का 83% अर्थात कुल रू० 5152.18 लाख मात्र विकलनीय होगा।**

(ख) भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के ''मुख्य शीर्ष –4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –02– तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष –0103– पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय, विपत्र कोड 03–4202027890103 के विषयशीर्ष "53 01– मुख्य निर्माण कार्य" से **कुल स्वीकृत राशि का 16% अर्थात कुल रू० 993.19 लाख मात्र विकलनीय होगा।**

(ग) भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष –4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –02– तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0103– पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय, विपत्र कोड 03–4202027960103 के विषयशीर्ष "53 01– मुख्य निर्माण कार्य" से **कुल स्वीकृत राशि का 1% अर्थात कुल रू० 62.07 लाख मात्र विकलनीय होगा।**

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, गया को प्रदान किया जायेगा।
4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया होगें।
5. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, गया से की जायेगी।
6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
7. उक्त निर्माण कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–2760, दिनांक–30.05.2025 के द्वारा अनुमोदित स्थल ले–आउट प्लान मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है।
8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888वि०, दिनांक–03.12.2024 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक–13.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–12 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृ० 77/टि० पर प्राप्त है।
9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(कुमार सिद्धार्थ)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* **/पटना, दिनांक–** *19.08.2025*

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* **/पटना, दिनांक–** *19.08.2025*

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* /पटना, दिनांक– *19.08.2025*

प्रतिलिपि – अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को दिनांक–13.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* /पटना, दिनांक– *19.08.2025*

प्रतिलिपि– सचिव/मुख्य अभियंता (निरूपण)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* /पटना, दिनांक– *19.08.2025*

प्रतिलिपि – आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* /पटना, दिनांक– *19.08.2025*

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया/प्राचार्य, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो.–04/2020– *4532* /पटना, दिनांक– *19.08.2025*

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर (ई–मेल/अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/25
संयुक्त सचिव।

नेहा/18.08.2025